नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की त... में जा...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे प्रारम्भिक डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती प्रीति सिंह पंवार
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 84 / 2018 राजस्व वाद

अनवान

1 भोमालाल पिता नारायण लाल रेबारी उम्र वयस्क निवासी मानपुरा, बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

.... वादी

बनाम

1 दीपक सिंह पिता हिम्मत सिंह दरोगा (भाटी) उम्र वयस्क निवासी कमला विहार के पास, 52 आदर्श नगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
2 भंवर कंवर पत्नी हिम्मत सिंह दरोगा (भाटी) उम्र वयस्क निवासी कमला विहार के पास, 52 आदर्श नगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
3 मांगी देवी पत्नी प्रेमसिंह दरोगा (भाटी) उम्र वयस्क निवासी कमला विहार के पास, 52 आदर्श नगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
4 शक्ति सिंह पिता किशन सिंह दरोगा उम्र वयस्क निवासी मकान नम्बर 342, जवाहर नगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
5 युगल सिंह पिता शक्ति सिंह भाटी (भाटी) उम्र वयस्क निवासी मकान नम्बर 342, जवाहर नगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
6 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)
2. श्री ईकबाल मोहम्मद छीपा (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व 05)

दिनांक– 04.07.2019

वादपत्र वादी सहमती से स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जाती हैं एवं तहसीलदार बनेड़ा को कमीशनर नियुक्त करते हुए आदेशित किया जाता है कि ग्राम बनेडा प0ह0 बनेडा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बनेडा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 840 की आ0न0 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377 किता 8 रकबा 07–12 बीघा भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के मध्य हक हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 18–21 की पालना करते हुए करते हुये मीट्स एण्ड बाऊण्ड के आधार पर विभाजन करते हुये विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय मे दिनांक 08.08.2019 तक प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

(प्रीति सिंह पंवार)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती प्रीति सिंह पंवार
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 84 / 2018 राजस्व वाद

अनवान

1 भोमालाल पिता नारायण लाल रेबारी उम्र वयस्क निवासी मानपुरा, बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा .... वादी

बनाम

1 दीपक सिंह पिता हिम्मत सिंह दरोगा (भाटी) उम्र वयस्क निवासी कमला विहार के पास, 52 आदर्श नगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
2 भंवर कंवर पत्नी हिम्मत सिंह दरोगा (भाटी) उम्र वयस्क निवासी कमला विहार के पास, 52 आदर्श नगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
3 मांगी देवी पत्नी प्रेमसिंह दरोगा (भाटी) उम्र वयस्क निवासी कमला विहार के पास, 52 आदर्श नगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
4 शक्ति सिंह पिता किशन सिंह दरोगा उम्र वयस्क निवासी मकान नम्बर 342, जवाहर नगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
5 युगल सिंह पिता शक्ति सिंह भाटी (भाटी) उम्र वयस्क निवासी मकान नम्बर 342, जवाहर नगर, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
6 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 ..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –
1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)
2. श्री ईकबाल मोहम्मद छीपा (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व 05)

निर्णय

दिनांक – 04.07.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद वादी अन्तर्गत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए वादी की ओर से न्यायालय मे निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम ग्राम बनेडा प0ह0 बनेडा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बनेडा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 840 की आ0न0 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377 किता 8 रकबा 07–12 बीघा आराजियात स्थित हैं। जिसमे वादी व प्रतिवादी गण संख्या 1 से 5 का हिस्सा निहित हैं। वादी शामलाती आराजियात होने से अपने हक हिस्से की आराजी का समुचित ढंग से विकास नहीं कर सकता हैं। प्रतिवादीगण बंटवारा कराने को सहमत नहीं हैं इसलिए वाद वादी स्वीकार फरमाते हुये डिक्री से वादग्रस्त आराजियात मे से वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड से विभाजन करा एवं राजस्व रिकार्ड मे पृथक से वादी का नाम खाता कायम करने की डिक्री पारित की जावे साथ ही विपक्षीगणो के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी पारित की जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगणो को जारी सम्मन नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त हुए जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 व 05 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल मोहम्मद छीपा द्वारा वकालत नाम प्रस्तुत कर, जवाब प्रस्तुतिकरण हेतु न्यायालय से समय चाहा। तत्पश्चात नियत सुनवाई दिनांक 04.07.2019 प विपक्षीगणो के नियुक्त अधिवक्ता द्वारा मामले में सहमती स्वरूप हस्ताक्षर कर, अभिकथन किया कि मौके प सहमती से विभाजन हो चुका है, यदि मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जाता है तो हम जवाबदाता व कोई आपत्ति नही होगी। वादी के नियुक्त अधिवक्ता ने भी इस पर सहमती व्यक्त कर, आदेशिका पर हस्ताक्षर

किये। शेष रहे विपक्षी क्रम 4 के सूचित रहने के बावजूद प्रकरण में अपना पक्ष रख़ने हाजिर नही होने से विरूद्ध विपक्षी संख्या 04 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की जाती है।
वादी के अधिवक्ता ने वादी की शहादत्त में गवाह वादी की और से शपथपत्र प्रस्तुत नही कर, सीधे तौर पर वादपत्र के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख चालु जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस को लाल स्याही से क्रमशः प्रदर्श 01, प्रदर्श 02 का अंकन किया गया।

उपस्थित वादी अधिवक्ता श्री मुरारी जोशी द्वारा नियत सुनवाई पर न्यायालय मे समक्ष प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध किया। वाद पत्र आराजियात बटंवारा बाबत हैं। एकपक्षीय बहस वादपत्र मे सुनी गई। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादी के खातेदार होने से उसके हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे खाता पृथक–पृथक से अंकन करते हुये बटंवारा किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

वादी/अधिवक्ता वादी के कथनो से हम सहमत है कि वादपत्र बाबत आराजीयात विभाजन का प्रस्तुत हुआ है एंव वादी विवादित आराजीयात में बतौर सहखातेदार होकर अपने हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे खाता पृथक–पृथक से अंकन करते हुये बटंवारा प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं, एंव इसके विरूद्ध प्रकरण में कोई प्रतिरोध भी रिकार्ड पर उपलब्ध नही है। अतः वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रारंम्भिक डिक्री किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

दिनांक – 04.07.2019

वाद पत्र बहक वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम बनेडा प0ह0 बनेडा भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र बनेडा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 840 की आ0न0 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377 किता 8 रकबा 07–12 बीघा भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य हक हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता हैं कि वाद पत्र मे अंकित आराजियात का बटंवारा किया जावे। राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करे। इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रीति सिंह पंवार)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा